दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्रमाँक : एफ-10/पी.सी./ए.क्यू.सी.67/ डी-49 दिनाँक: 20/03/18

विषय :- श्री रघुविंदर शौकीन ,विधायक द्वारा पूछे गये विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 67 दिनांक20.03.2018 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(क) विगत दस वर्षो में अनुसूचित जाति/ जनजाति बस्तियों के सुधार के लिए डीयूएसआईबी द्वारा कर्च की गई धनराशि तथा पूरी की जा चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,	विगत दस वर्षो में अनुसूचित जाति/ जनजाति बस्तियों के सुधार के लिए डीयूएसआईबी द्वारा खर्च की गई धनराशि तथा पूरी की जा चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा 26.03.2018 तक उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास रहेगा।
(ख) विगत दस वर्षो में 'एमएलए लैड' योजना के अंतर्गत डीयूएसआईबी द्वारा खर्च की गई धनराशि तथा पूरी की जा चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,	विगत दस वर्षो में 'एमएलए लैड' योजना के अंतर्गत डीयूएसआईबी द्वारा खर्च की गई धनराशि तथा पूरी की जा चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा 26.03.2018 तक उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास रहेगा।
(ग) विगत पांच वर्षो में फ्री होल्ड योजना के संशोधित जेजेआर तथा इनके क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है,	वर्ष 2013 में लागू फ्री होल्ड योजना के अंतर्गत 89 संपतियों को फ्री होल्ड किया गया है। संशोधित फ्री होल्ड नीति सरकार के विचाराधीन है।
(घ)डीयूएसआईबी द्वारा लागू की जा रही ब्याज/दंड में छूट की योजना क्या है,और	स्पेशल रजिष्ट्रेशन योजना-1985 के तहत आवंटित मकानों में से 50% मकान हायर परचेज के अन्तर्गत आवंटित किये गये हैं जिसमें किस्तें समय पर ना चुकाने वालों के खिलाफ 48% साधारण ब्याज का प्रावधान था जिसे बोर्ड के अनुमोदन के बाद "पेनाल्टी वेवर" योजना के अंन्तर्गत ब्याज के दर को 48% से घटाकर 12% किया गया है उसके उपरांत ब्याज दर को पुनः घटाकर 12% से 7% किया गया है।

	यह योजना विभाग द्वारा पाँच चरणों में लागू की गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:- 1. 01.09.2013 से 31.03.2014 2. 01.10.2014 से 31.03.2015 3. 01.11.2015 से 30.06.2016 4. 01.03.2017 से 31.08.2017 5. 01.11.2017 से 30.04.2018
(ड़) इस योजना के कार्यान्वयन के बाद कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?	इस योजना के अंन्तर्गत विभाग को अभी तक कुल 1394.66 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

यह उत्तर सक्षम आधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक (ससंद प्रकोष्ट)

उप सचिव (श .वि.), दिल्ली सचिवालय,दिल्ली सरकार